

अधिवक्ता उच्च न्यायालय ने प्रा. पत्र धारा - 212 पर  
बहस हेतु अवसर चाहा जो दिया जाकर  
पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 26/05/2022 को  
पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

26/05  
2022

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उच्च न्यायालय।  
अधिवक्ता उच्च न्यायालय ने प्रा. पत्र धारा - 212 पर  
बहस हेतु अवसर चाहा जो दिया जाकर पत्रावली  
वास्ते बहस दिनांक 16/06/2022 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

16.6.2022  
अधिवक्ता उच्च न्यायालय  
पत्रावली वास्ते बहस दिनांक  
16/06/2022 को पेश हो।

16/06  
2022

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उच्च न्यायालय  
उपस्थित वकील अफ्ती के प्रा. पत्र  
धारा - 212 RTA अफ्ती का मैं अधिवक्ता कायम  
की जाने में कोई आपत्ति नहीं पतरी। पत्रावली में  
शामिल दस्तावेजों व प्रा. पत्र धारा - 212 का  
अवलोकन किया। पत्रावली में मगन किया। वकील  
अफ्ती द्वारा प्रा. पत्र को स्वीकार कर अधिवक्ता  
का निवेदन करते से प्रा. पत्र धारा - 212 अफ्ती  
का स्वीकार मोगम पाये जाने से स्वीकार किया  
जाता है। पत्रावली फंसल शुमार लेकर दर्ज रखकर  
से कम की जाकर शामिल दस्तावेज हो।

उपखण्ड अधिकारी  
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)